LATEST NEWS

Election

Date : 10th Oct. 2025

Office of Chief Electoral Officer, Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:
CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

एफएसटी, वीसएसटी दल पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करें

बारां. अन्ता उपचुनाव पर चर्चा करते अधिकारी। पत्रिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां. राज्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने विधानसभा उपचुनाव के अन्तर्गत पारदर्शी, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन के लिए गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला निर्वाचन विभाग के साथ बैठक की।

मिनी सचिवालय स्थित एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु, उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल, सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, रिटर्निंग अधिकारी अंता हवाई सिंह यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फ्लाईंग स्कवाड दल (एफएसटी), स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) और वीएसटी दलों को पूर्ण सक्रिय करते हुए कड़ी निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी निगरानी व सतर्कता दल निर्वाचन प्रकिया के दौरान निर्वाचन-क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचार खर्चों, रिश्वत मदों का नगद या वस्तु रूप में वितरण, अवैध शस्त्रों, शराब या असामाजिक तत्वों आदि के आवाजाही पर नजर रखते हुए इन मामलों में कड़ी कार्यवाही करें। कोई भी शिकायत मिलने पर बिना किसी दबाव में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिले में संदेहास्पद वस्तुओं की वीडियोग्राफी कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें।

268 बूथ के लिए 348 बैलेट व कंट्रोल यूनिट का चिह्निकरण

बारां. ईवीएम प्रथम रेण्डमाइजेशन करते हुए। पत्रिका

बारां @ पत्रिका. अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम मशीनों का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से गुरुवार को प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर की मौजूदगी में विधानसभा क्षेत्र अंता में उपचुनाव के लिए उपयोग में ली जाने वाली ईवीएम मशीनों का रेण्डमाईजेशन मिनी सचिवालय के सभागार में किया गया। रेण्डमाईजेशन में ईवीएम की बेलट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट व वीवीपैट मशीनों को शामिल करते हुए कुल 268 पोलिंग बूथों के लिए 348 बैलेट व कंट्रोल यूनिट का चिन्हीकरण किया गया है जिनमें से 80 आरक्षित रहेंगी। जबकि वीवीपैट की 375 मशीनों का चिन्हीकरण किया गया है। इनमें से 107 को रिजर्व रखा जाएगा। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल, अतिरिक्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी पूनम पाटनी सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

उत्साह के साथ लिया मतदान का संकल्प

कल तक पंजीकृत नव मतदाता दे सकेंगे वोट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां. नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के मार्गदर्शन में नव मतदाताओं के शत प्रतिशत पंजीयन एवं अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए स्वीप कार्यक्रम अन्तर्गत जिले के शैक्षिक संस्थानों में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।

बारां. उत्साह के साथ लिया मतदान का संकल्प। पत्रिका

मेहंदी लगाकर दिया लोकतंत्र का संदेश

अंता के राजकीय महाविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने आकर्षक मेहंदी में निर्वाचन के ऑनलाइन एप्लीकेशन वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल व सक्षम ऐप को दर्शाते हुए तथा '11 नवंबर नोट करें निर्भय होकर वोट करें', 'उम्र 18 खुशी अपार, नाम जुड़ेगा पहली बार' जैसे जागरूकता संबंधी नारों के साथ आमजन को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्राचार्य फातिमा सुल्ताना ने विद्यार्थियों से अपने परिवार एवं परिचितों से प्रचार प्रसार करने की बात कही। इस दौरान ईएलसी प्रभारी बृजेश कुमार, स्वीप सदस्य रामचरण मीणा, स्टाफ सदस्य तथा ईएलसी सदस्य मौजूद रहे।

सहायक स्वीप प्रभारी अमित भार्गव ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जन को मतदान की शपथ दिलाते हुए लोकतंत्र के पर्व में मतदान द्वारा लोकतंत्र को सशक्त करने में अपना योगदान सुनिश्चित करने की बात कही, वहीं नव मतदाताओं को प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल एवं केवाईसी एप डाउनलोड करवाया एवं अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए घर बैठे वोटर हेल्पलाइन एप या निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल पर फॉर्म 6 के तहत मतदाता सूची में पंजीयन करने एवं फॉर्म 8 से वोटर आईडी में किसी भी प्रकार के संशोधन को ऑनलाइन प्रक्रिया से करने की जानकारी दी गई। वीएचए द्वारा ईपिक नंबर या ईपिक पर दिए गए बार व क्यूआर कोड या अपने मोबाइल नंबर की सहायता से मतदाता सूची में अपना नाम देखने तथा अपने मतदान केंद्र का पता करने की जानकारी भी दी गई। साथ ही सी विजिल ऐप द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत पर 100 मिनट के अंदर समाधान प्राप्त करने के बारे में बताया एवं केवाईसी ऐप द्वारा अपने क्षेत्र से चुनाव उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त करने के बारे में समझाया गया। ऐसे युवा जो 18 वर्ष की आयु पूरी चुके है, वह आवेदन करके अपना पंजीयन करा सकते हैं तथा 11 अक्टूबर तक पंजीयन करने वाले नव मतदाता उपचुनाव में मतदान करने के पात्र होंगे।

अंता विधानसभा उपचुनाव: एआई आधारित आर्टिफिशियल वीडियो के उपयोग के संबंध में निर्देश

दिशा न्यूज। बारां.

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों या उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले आर्टिफिशियल या डीपफेक वीडियो का उपयोग आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक दिशानिर्देशों के दायरे में ही किया जाना चाहिए। आयोग के निर्देशों के तहत जिला कलक्टर तोमर ने बताया कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्यक्रमों, नीतियों, कार्यों और पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रहनी चाहिए। किसी भी दल या उसके नेताओं के निजी जीवन से संबंधित विषयों पर टिप्पणी या असत्यापित आरोप लगाने से परहेज किया जाए। तोमर ने बताया कि एआई तकनीक के दुरुपयोग से गलत सूचना या भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के प्रयासों पर आयोग ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में सभी राज नीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी प्रचार सामग्री में एआई आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित तत्व शामिल हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित" या "डिजिटल रूप से संवर्धित" के रूपमें चिह्नित किया जाए।

दैनिक भास्कर

बारां 10-10-2025

रोष • ग्रामीण बोले - समस्या पर ध्यान नहीं, ढीले तार दुरुस्त करने व पेचवर्क का दिया आश्वासन

सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, मतदान बहिष्कार की चेतावनी

भास्कर न्यूज़ | बारां

बारां. खस्ताहाल सड़क की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन।

खस्ताहाल सड़क निर्माण को दुरुस्त करने की मांग को लेकर गुरुवार को खेड़ी श्यामपुरा के लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि लंबे समय से खस्ताहाल सड़क के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अवगत करवाने के बावजूद जिम्मेदारों की ओर से समाधान नहीं किया जा रहा है। जल्द सुधार नहीं होने पर ग्रामीणों ने आगामी उपचुनावों में मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी। मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन देकर समझाइश की।

ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों, पूर्व विधायक, मंत्रियों, सांसद, अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन ग्रामीणों को अब तक सिर्फ झूठा आश्वासन ही मिला है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। लंबे समय से परेशानी का समाधान नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने आगामी उपचुनावों मे मतदान का बहिष्कार की चेतावनी दी। साथ ही ग्रामीणों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर दोपहर 2 बजे तहसीलदार मौके पर पहुंचे और शीघ्र रोड बनाने का आश्वासन दिया। ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक रोड नहीं बन जाता मतदान का बहिष्कार रहेगा। इस दौरान रविकांत, नरेंद्र शर्मा, रूपनारायण शर्मा, ताराचंद शर्मा, मोहन शर्मा, साबू लाल प्रजापत, मोहन प्रजापत, श्यामबिहारी, प्रमोद, लोकेश, पंकज, हरिओम, अमित, निर्मल, गोलू, अनूप, भंवर, दीपेंद्र, त्रिलोक, राधे श्याम बैरवा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने ढीले तार दुरुस्त करने की मांग की। इस पर बिजली निगम अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। सड़क का पेचवर्क करवाने का आश्वासन दिया।

अंता उपचुनाव में पारदर्शिता पर जोर

निर्वाचन आयुक्त ने एफएसटी-एसएसटी टीमों को दिए सख्त हिदायत

(अमिट अक्षर)

बारां, 09 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने विधानसभा उपचुनाव के अन्तर्गत पारदर्शी, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन के लिए गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला निर्वाचन विभाग के साथ बैठक की।

मिनी सचिवालय स्थित एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु, उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल, सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, रिटर्निंग अधिकारी अंता हवाई सिंह यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फ्लाईंग स्कवाड दल (एफएसटी), स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) और वीएसटी दलों को पूर्ण सक्रिय करते हुए कड़ी निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी निगरानी व सतर्कता दल निर्वाचन प्रकिया के दौरान निर्वाचन-क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचार खर्चों, रिश्वत मदों का नगद या वस्तु रूप में वितरण, अवैध शस्त्रों, शराब या असामाजिक तत्वों आदि के आवाजाही पर नजर रखते हुए इन मामलों में कड़ी कार्यवाही करें। कोई भी शिकायत मिलने पर बिना किसी दबाव में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिले में संदेहास्पद वस्तुओं की वीडियोग्राफी कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें।

11 अक्टूबर तक पंजीयन वाले नव मतदाता भी उपचुनाव में कर सकेंगे मतदान

बारां, 09 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन एवं सीइओ व नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के मार्गदर्शन में नव मतदाताओं के शत प्रतिशत पंजीयन एवं अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए स्वीप कार्यक्रम अन्तर्गत जिले के शैक्षिक संस्थानों में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।

अंता के राजकीय महाविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने आकर्षक मेहंदी में निर्वाचन के ऑनलाइन एप्लीकेशन वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल व सक्षम ऐप को दर्शाते हुए तथा '11 नवंबर नोट करें निर्भय होकर वोट करें', 'उम्र 18 खुशी अपार, नाम जुड़ेगा पहली बार' जैसे जागरूकता संबंधी नारों के साथ आमजन को मतदान करने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर प्राचार्य फातिमा सुल्ताना ने विद्यार्थियों से अपने परिवार एवं परिचितों से प्रचार प्रसार करने की बात कही। इस दौरान ईएलसी प्रभारी बृजेश कुमार, स्वीप सदस्य रामचरण मीणा, स्टाफ सदस्य तथा ईएलसी सदस्य मौजूद रहे।

चुनाव आयोग ने राजनैतिक दलों के लिए जारी की

अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए एआई का यूज करने वाले सावधान...!

जयपुर, 09 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

बिहार विधानसभा चुनावों के साथ-साथ अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 की घोषणा हो चुकी है और 6 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता भी लागू है। लेकिन इस बार का चुनाव प्रचार एक नए और गंभीर खतरे के साये में है- वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक वीडियो का खतरा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने राजनीतिक दलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें एआई-आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को अनिवार्य बताया गया है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ड्ड का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

फर्जी वीडियो पर ईसी की रेड लाइन

आज के दौर में, एआई टूल की मदद से किसी भी व्यक्ति का फर्जी वीडियो (डीपफेक) या भ्रामक ऑडियो कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है। यह तकनीक गलत सूचना या भ्रामक प्रचार फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है। ऐसे में आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी प्रचार सामग्री में एआई-आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित तत्व शामिल हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से यह लिखकर मार्क करना होगा कि यह सामग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित है।

फोटो-वीडियो समेत हर सोशल पोस्ट पर लागू

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह प्रावधान इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा रही सभी सामग्री पर सख्ती से लागू होगा। यह नियम सुनिश्चित करेगा कि जनता को पता चले कि जो वीडियो या कंटेंट वे देख रहे हैं, वह प्रामाणिक है या एआई द्वारा बनाया गया है।

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं-

चुनाव आयोग ने उपचुनावों में राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता की पालन करने की सख्त अपील की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्यक्रमों, नीतियों, कार्यों और पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रहनी चाहिए। किसी भी दल या उसके नेताओं के निजी जीवन से संबंधित विषयों पर टिप्पणी करने या असत्यापित आरोप लगाने से सख्ती से परहेज किया जाए. आयोग की चेतावनी स्पष्ट है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कैंडिडेट का सस्पेंशन तक शामिल हो सकता है।

स आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन एसएसओआईडी से लॉगिन कर किए जाएंगे। गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही की जाए। प्रजापति ने दीप प्रज्वलन कर

दैनिक चम्बल संदेश
सत्य के लिए, सत्य के लिए
www.chambalsandesh.com

विकसित भारत युवा संसद के लिए आवे

संदेश न्यूज। छबड़ा. *जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन न... जारी है। स्थानीय राजकीय महाविद्यालय के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अ... खेल मंत्रालय की ओर से जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोज... 18 से 25 वर्ष तक के युवा भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम में आवेदन*

आज पंजीयन कराने वाले नव मतदाता भी कर सकेंगे मतदान

संदेश न्यूज। बारां.

जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन एवं नोडल अधिकारी स्वीप के मार्गदर्शन में नव मतदाताओं के शत प्रतिशत पंजीयन एवं अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए स्वीप कार्यक्रम अन्तर्गत जिले के शैक्षिक संस्थानों में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अंता के राजकीय महाविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने आकर्षक मेहंदी में निर्वाचन के ऑनलाइन एप्लीकेशन वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल व सक्षम ऐप को दर्शाते हुए तथा 11 नवंबर नोट करें निर्भय होकर वोट करें। सहायक स्वीप प्रभारी अमित भार्गव ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जन को मतदान की शपथ दिलाते हुए लोकतंत्र के पर्व में मतदान द्वारा लोकतंत्र को सशक्त करने में अपना योगदान सुनिश्चित करने की बात कही। मतदाता सूची में 11 अक्टूबर तक पंजीयन कराने वाले मतदाता भी मतदान कर सकेंगे।

अंता विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जारी

सुहाग की कामना के साथ मतदान का संकल्प

अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान में बढ़ोतरी के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही है। गुरुवार को अंता कस्बे में मत् के संदेश स्टीकर वाले आकर्षक करवे बाजार में महिलाओं की खरीदारी में आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। शुक्रवार को घर-घर में करवा चौथ के त्योहार पर महिलाएं पति की लंबी आयु के साथ इन वोट करवे के माध्यम से शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करेंगी।

एफएसटी, वीसएसटी दल पारदर्शिता करें कार्य

राज्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने विधानसभा उपचुनाव के अन्तर्गत पारदर्शी, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन के लिए गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला निर्वाचन विभाग के साथ बैठक की। महाजन ने फ्लाईंग स्क्वाड दल (एफएसटी), स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) और वीएसटी दलों को पूर्ण सक्रिय करते हुए कड़ी निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी निगरानी व सतर्कता दल निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन-क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचार खर्चों, रिश्वत मदों का नगद या वस्तु रूप में वितरण, अवैध शस्त्रों, शराब या असामाजिक तत्वों आदि के आवाजाही पर नजर रखते हुए इन मामलों में कड़ी कार्यवाही करें।

अंता विधानसभा उप चुनाव के लिए ईवीएम का किया प्रथम रेण्डमाईजेशन

संदेश न्यूज। बारां.

अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम मशीनों का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से गुरुवार को प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में विधानसभा क्षेत्र अंता में उपचुनाव के लिए उपयोग में ली जाने वाली ईवीएम मशीनों का रेण्डमाइजेशन मिनी सचिवालय के सभागार में किया गया। इसमें ईवीएम की बेलट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट व वीवीपैट मशीनों को शामिल करते हुए कुल 268 पोलिंग बूथों के लिए 348 बेलट व कंट्रोल यूनिट का चिन्हीकरण किया गया है, जिनमें से 80 आरक्षित रहेंगी। जबकि वीवीपैट ... किया गया है। जिनमें से 107 को रिजर्व रखा जाएगा।

एआई वीडियो के उपयोग के संबंध में निर्देश

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से ... आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों या उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले आर्टिफिशियल या डीपफेक वीडियो का उपयोग आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक दिशानिर्देशों ... आयोग के निर्देशों के तहत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्यक्रमों, नीतियों, कार्यों और पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रहनी चाहिए। किसी भी दल या उसके नेताओं के निजी जीवन से संबंधित विषयों पर टिप्पणी या असत्यापित आरोप लगाने से परहेज किया

दैनिक भास्कर
बारां 10-10-2025

एफएसटी, वीएसटी दल पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करें

बारां| राज्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने विधानसभा उपचुनाव के तहत पारदर्शी, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन के लिए गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला निर्वाचन विभाग के साथ बैठक की। मिनी सचिवालय स्थित एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु, उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल, सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, रिटर्निंग अधिकारी अंता हवाई सिंह यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फ्लाइंग स्कवाड दल (एफएसटी), स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) और वीएसटी दलों को पूर्ण सक्रिय करते हुए कड़ी निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए।

268 पोलिंग बूथों के लिए 348 बेलेट व कंट्रोल यूनिट चिंहित

बारां| अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम मशीनों का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से गुरुवार को प्रथम रेंडमाइजेशन किया। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर की मौजूदगी में विधानसभा क्षेत्र अंता में उपचुनाव के लिए उपयोग में ली जाने वाली ईवीएम मशीनों का रेंडमाईजेशन मिनी सचिवालय के सभागार में किया। रेंडमाईजेशन में ईवीएम की बेलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवी

पैट मशीनों को शामिल करते हुए कुल 268 पोलिंग बूथों के लिए 348 बेलेट व कंट्रोल यूनिट का चिन्हीकरण किया है। जिनमें से 80 आरक्षित रहेंगी। जबकि वीवी पैट की 375 मशीनों का चिन्हीकरण किया गया है। जिनमें से 107 को रिजर्व रखा जाएगा। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल, अतिरिक्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी पूनम पाटनी सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

ईवीएम का किया प्रथम रेण्डमाईजेशन

बारां, 09 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम मशीनों का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से गुरुवार को प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर की मौजूदगी में विधानसभा क्षेत्र अंता में उपचुनाव के लिए उपयोग में ली जाने वाली ईवीएम मशीनों का रेण्डमाईजेशन मिनी सचिवालय के सभागार में किया गया। रेण्डमाईजेशन में ईवीएम की बेलट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट व वीवीपैट मशीनों को शामिल करते हुए कुल 268 पोलिंग बूथों के लिए 348 बेलट व कंट्रोल यूनिट का चिन्हीकरण किया गया है जिनमें से 80 आरक्षित रहेंगी। जबकि वीवीपैट की 375 मशीनों का चिन्हीकरण किया गया है। जिनमें से 107 को रिजर्व रखा जाएगा।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल, अतिरिक्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी पूनम पाटनी सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

दैनिक भास्कर
बारां 10-10-2025

अंता विधानसभा उपचुनाव

एआई आधारित आर्टिफिशियल वीडियो के उपयोग पर निगरानी

बारां| निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों या उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले आर्टिफिशियल या डीप फेक वीडियो का उपयोग आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक दिशा निर्देशों के दायरे में ही किया जाना चाहिए। आयोग के निर्देशों के तहत कलेक्टर तोमर ने बताया कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्यक्रमों, नीतियों, कार्यों और पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रहनी चाहिए। किसी भी दल या उसके नेताओं के निजी जीवन से संबंधित विषयों पर टिप्पणी या असत्यापित आरोप लगाने से परहेज किया जाए।

कलेक्टर तोमर ने बताया कि एआई तकनीक के दुरुपयोग से गलत सूचना या भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के प्रयासों पर आयोग ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि यदि किसी प्रचार सामग्री में एआई आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित तत्व शामिल हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित के रूप में चिंहित किया जाए। उन्होंने बताया कि ये प्रावधान इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा रही सभी सामग्री पर भी लागू होंगे। तोमर ने कहा कि चुनावी माहौल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान पत्रिका

जोधपुर, शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025

चुनाव आयोग की चेतावनी

एआइ-बेस्ड भ्रामक जानकारी का उपयोग न करें दल

एआइ नया 'हथियार', सोशल मीडिया पर 'फेक' की बाढ़

शादाब अहमद
patrika.com

नई दिल्ली. बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही राजनीतिक जंग का मैदान अब सोशल मीडिया पर ज्यादा गरमा गया है। इस बार सबसे बड़ा 'हथियार' बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ)। सत्ताधारी एनडीए हो या फिर विपक्षी महागठबंधन खुद के कार्यक्रमों और प्रचार के साथ एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के लिए भी एआइ से बने वीडियो और फोटो जमकर काम में ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने चेताया है कि दल प्रचार में एआइ आधारित गलत और भ्रामक वीडियो का इस्तेमाल न करें। पार्टी या उम्मीदवार की आलोचना नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व रिकॉर्ड और कार्यों तक सीमित रहनी चाहिए। आयोग ने एआइ-जनरेटेड या डिजिटल रूप से बदले गए कंटेंट पर स्पष्ट टैग लगाना अनिवार्य किया है।

केस स्टडी

1. कांग्रेस ने पिछले दिनों पीएम मोदी और उनकी मां से जुड़ा वीडियो वायरल किया था। इस पर भाजपा ने आपत्ति जताई थी।

2. भाजपा ने 'तबेला टाइम्स' व 'हम समय बानी' सीरीज में लालू काल की नीतियों व परिवारवाद पर सवाल उठाए।

3. कांग्रेस की 'बवाल बिहारी' और 'वोट चोरी' सीरीज बेरोजगारी और चुनावी गड़बड़ियों पर केंद्रित।

4. जेडीयू नीतीश सरकार की सफलता के साथ लालू को निशाने पर लेने वाले वीडियो बना रही।

4. सभी दल एआइ से वोक्स पोप बनाकर वायरल कर रहे हैं।

आइटी सेल में 'एआइ एक्सपर्ट्स' ... बड़ी पार्टियों ने अब अपनी आइटी सेल में एआइ विशेषज्ञ रख लिए हैं। ये लोग न सिर्फ कंटेंट तैयार कर रहे हैं बल्कि यह भी तय करते हैं कि किस समय और किस प्लेटफॉर्म पर उसे वायरल करना है।

राजस्थान पत्रिका

जोधपुर, शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025

बूथ लेवल अधिकारियों को मिली नई ट्रेनिंग

शेरगढ़@पत्रिका. पंचायत समिति के सभा भवन में गुरुवार को उपखंड अधिकारी विक्रांत शर्मा की अध्यक्षता में 51 नए बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मास्टर ट्रेनर कालू सिंह और गोसाई राम ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और बीएलओ एप के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया। शेरगढ़ विधानसभा में कुल 290 मतदान बूथ थे, जिनमें से जिन बूथों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक थी, उन्हें विभाजित कर दो बूथ बनाया गया। इस प्रक्रिया के बाद 51 नए बूथ बनाए गए, जिससे कुल मतदान केंद्रों की संख्या 341 हो गई। उपखंड अधिकारी विक्रांत शर्मा ने सभी बीएलओ को फील्ड में पारदर्शिता के साथ कार्य करने की सलाह दी।

हुक्मनामा समाचार

अंता विधानसभा उपचुनाव-2025

निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को एआई आधारित आर्टिफिशियल वीडियो के उपयोग पर आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों या उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले आर्टिफिशियल या डीपफेक वीडियो का उपयोग आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक दिशानिर्देशों के दायरे में ही किया जाना चाहिए।

महाजन ने बताया कि बिहार विधान सभा के आम चुनाव एवं 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों जिसमें अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 भी शामिल है, की घोषणा के साथ ही 6 अक्टूबर 2025 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्यक्रमों, नीतियों, कार्यों और पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रहनी चाहिए। किसी भी दल या उसके नेताओं के निजी जीवन से संबंधित विषयों पर टिप्पणी या असत्यापित आरोप लगाने से परहेज किया जाए। महाजन ने बताया कि एआई तकनीक के दुरुपयोग से गलत सूचना या भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के प्रयासों पर आयोग ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी प्रचार सामग्री में एआई आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित तत्व शामिल हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित के रूप में चिह्नित किया जाए।

सेवा भारती

अंता विधानसभा उपचुनाव

एआई आधारित आर्टिफिशियल वीडियो के उपयोग पर आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

सेवा भारती समाचार

जयपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों या उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले आर्टिफिशियल या डीपफेक वीडियो का उपयोग आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक दिशानिर्देशों के दायरे में ही किया जाना चाहिए।

महाजन ने बताया कि बिहार विधान सभा के आम चुनाव एवं 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों जिसमें अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 भी शामिल है, की घोषणा के साथ ही 6 अक्टूबर 2025 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्यक्रमों, नीतियों, कार्यों और पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रहनी चाहिए। किसी भी दल या उसके नेताओं के निजी जीवन से संबंधित विषयों पर टिप्पणी या असत्यापित आरोप लगाने से परहेज किया जाए।

महाजन ने बताया कि एआई तकनीक के दुरुपयोग से गलत सूचना या भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के प्रयासों पर आयोग ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी प्रचार सामग्री में एआई आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित तत्व शामिल हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित के रूप में चिह्नित किया जाए। उन्होने बताया कि ये प्रावधान इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा रही सभी सामग्री पर भी लागू होंगे। आयोग ने कहा है कि चुनावी माहौल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

क्रमशः
दैनिक प्रातः कालीन

अंता विधानसभा उपचुनाव- निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को एआई आधारित आर्टिफिशियल वीडियो के उपयोग पर आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

क्रमशः रिपोर्टर

जयपुर,। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों या उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले आर्टिफिशियल या डीपफेक वीडियो का उपयोग आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक दिशानिर्देशों के दायरे में ही किया जाना चाहिए। महाजन ने बताया कि बिहार विधान सभा के आम चुनाव एवं 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों जिसमें अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 भी शामिल है, की घोषणा के साथ ही 6 अक्टूबर 2025 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्यक्रमों, नीतियों, कार्यों और पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रहनी चाहिए। किसी भी दल या उसके नेताओं के निजी जीवन से संबंधित विषयों पर टिप्पणी या असत्यापित आरोप लगाने से परहेज किया जाए। श्री महाजन ने बताया कि एआई तकनीक के दुरुपयोग से गलत सूचना या भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के प्रयासों पर आयोग ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी प्रचार सामग्री में एआई आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित तत्व शामिल हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित" या "डिजिटल रूप से संवर्धित" के रूप में चिह्नित किया जाए। उन्होने बताया कि ये प्रावधान इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा रही सभी सामग्री पर भी लागू होंगे। आयोग ने कहा है कि चुनावी माहौल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

PUNJAB KESARI
पंजाब केसरी

अधिकारी-कार्मिक सतर्क रहकर करें कार्य : महाजन

जयपुर, 9 अक्टूबर (विसं) : अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कार्मिक अधिक संवेदनशील और सतर्क रहकर कार्य करने, जागरूकता गतिविधियां बढ़ाकर अधिकाधिक मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने और आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग सुनिश्चित कराने एवं एक ही लोकेशन पर 3 या 3 से अधिक मतदान केंद्रों वाले स्थानों पर एक अतिरिक्त कैमरा बाहर की तरफ भी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठक कर सूचनाएं साझा करने एवं भय रहित और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने के निर्देश दिए।

एआई दुरुपयोग को लेकर आयोग सतर्क

अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में एआई तकनीक के दुरुपयोग को लेकर चुनाव आयोग सतर्क है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों या उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले आर्टिफिशियल या डीपफेक वीडियो का उपयोग आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक दिशा निर्देशों के दायरे में ही किया जाना चाहिए। आरोप लगाने से परहेज किया जाए।